चम्पारण सत्याग्रह आन्दोलन में महत्मा गाँधी की भूमिका

डॉ. अंजली कुमारी*

सार–संक्षेप

महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य कर चम्पारण जिले की जनता का कष्ट दूर किया था। उसी का सफल प्रयोग उन्होंने अखिल–भारतवर्षीय कांग्रेस के माध्यम से विशाल रूप में अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त करने के हेतु किया। चम्पारण में निलहे कोठी वाले अंग्रेजों के अत्याचारों से वही की प्रजा को मुक्ति सत्याग्रह द्वारा मिली, और भारतवर्ष भी अन्ततः विदेशियों की दासता से उसी के द्वारा मुक्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चम्पारण का नाम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही यह भू–भाग मिथिला की सीमाओं के अन्तर्गत रहा। महात्मा गाँधी ने विदेश में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहीं से प्रत्यागमन के पश्चात उन्होंने उस नवीन अस्त्र का साहसपूर्ण एवं सफल प्रयोग भारत–भूमि में सर्वप्रथम चम्पारण जिले में ही किया। सभी प्रकार के मानव कष्टों के निवारणार्थ उनके सिद्धान्तानुसार सत्याग्रह सर्वोत्तम औषधि थी। किन्तु उसके उचित प्रयोग के लिए आत्मबल की आवश्यकता वे बताते थे। जिसकी प्राप्ति सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग, एवं आत्म–शुद्धि पर आधारित है।

परिचय

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति यह आग्रह व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। इस आग्रह को बनाये रखने के लिए एक मात्र साधन है अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका में सरकार का प्रतिरोध करते समय महात्मा गाँधी ने अपने आन्दोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था। धीरे–धीरे महात्मा गाँधी को यह एहसास हुआ कि उनके द्वारा चलाया गया आन्दोलन निष्क्रिय शब्द से पूर्णतया नहीं समझा जा सकता क्योंकि उनके आन्दोलन में कुछ विशेषताएँ ऐसी थी, जो उसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग करती थी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चम्पारण का नाम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही यह भू–भाग मिथिला की सीमाओं के अन्तर्गत

*पति– श्री रंजीत कुमार ठाकुर, द्वारा– राम लखन ठाकुर, ग्राम+पोस्ट–बिठौली, थाना बहेड़ी, जिला–दरभंगा (बिहार), पिन–847201

रहा। महात्मा गाँधी ने विदेश में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहीं से प्रत्यागमन के पश्चात उन्होंने उस नवीन अस्त्र का साहसपूर्ण एवं सफल प्रयोग भारत–भूमि में सर्वप्रथम चम्पारण जिले में ही किया। सभी प्रकार के मानव कष्टों के निवारणार्थ उनके सिद्धान्तानुसार सत्याग्रह सर्वोत्तम औषधि थी। किन्तु उसके उचित प्रयोग के लिए आत्मबल की आवश्यकता वे बताते थे। जिसकी प्राप्ति सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग, एवं आत्म–शुद्धि पर आधारित है। महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य कर चम्पारण जिले की जनता का कष्ट दूर किया था। उसी का सफल प्रयोग उन्होंने अखिल–भारतवर्षीय कांग्रेस के माध्यम से विशाल रूप में अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त करने के हेतु किया। चम्पारण में निलहे कोठी वाले अंग्रेजों के अत्याचारों से वही की प्रजा को मुक्ति सत्याग्रह द्वारा मिली, और भारतवर्ष भी अन्ततः विदेशियों की दासता से उसी के द्वारा मुक्त हुआ। चम्पारण में ही, सारे उत्तर बिहार में निलहे कोठी वालों का जाल–सा बिछा हुआ था। स्थान–स्थान पर उनकी कोठियाँ थी, जिसके आस–पास के विस्तृत क्षेत्र में वे नील उपजाते एवं उसका व्यापार करते थे। उनकी अपनी भूमि बहुत कम थी। इसलिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वे अनेक उपायों का अवलम्बन करते थे। इन कोठीवालों ने आपस में मिलकर अपने–अपने कार्य क्षेत्रों की हदबन्दी कर ली थी एक कोठी के कार्य क्षेत्र के अन्दर कई ग्राम पड़ते थे। उन ग्रामो के अधिवासी चाहे वे जमींदार हो या रैयत उस क्षेत्र के कोठीवाल अंग्रेज के ''टीनेन्ट'' (प्राजा) कहे जाते थे। उनके उपर उस नील–कोठी के स्वामी का प्रभुत्व माना जाता था। यद्यपि उनसे उनका किसी प्रकार का भूमि संबंधी अथवा रूपये पैसे के लेन–देन का संबंध नहीं रहता था। कोठीवाले साहब बहुधा जमींदारों से बकाश रैयती जमीनों का ठीक लिख लेते थे। इस हेतु वे उन्हें थोड़ा अग्रिम भी प्रायः दिया करते थे। इस प्रकार की ठीकेदारी के बल पर वे रैयतों के मालिक बन बैठते थे, और उन पर हुकुमत करते थे। रैयतों की जमीन का भी ठीका लेते थे। इसके अतिरिक्त जमींदारों एवं रैयतों को अपने अधिकार की जमीन से प्रति बीघा तीन कट्ठा निकाल कर उसमें नील की खेती करनी पड़ती थी। इस पद्धति को तीन–कठिया की संज्ञा प्राप्त थी। उन सबों को बढ़िया से बढ़िया एवं उर्वरा खेतों में से ही नील की खेती हेतु प्रति बीघा तीन कट्ठा के हिसाब से जमीन सुरक्षित रखनी पड़ती थी। उसके बदले में कोठीवाले साहब अपनी इच्छा के अनुसार एक छोटी सी रकम प्रति बीघा के हिसाब से उन्हें देते थे। खेत की जोताई–कोड़ाई बढ़िया नहीं होने पर निलहे अंग्रेजी कृषकों की भर्त्सना एवं डाँट–फटकार करते अथवा जुर्माना कर उनसे रूपये वसूल करते थे। कभी–कभी दूसरे प्रकार का दंड भी दे देते थे। उनके सामने हिन्दुस्तानी जनता को जूते पहन कर जाना, छाते–ओढ़ कर चलना आदि उनका अनादर और

अपमान समझा जाता था। वे अपने सामने कुर्सी अथवा बेंच पर बैठने की आज्ञा बहुत कम हिन्दुस्तानियों को देते थे। उन्हें वहाँ खड़े होकर बातें करनी पड़ती थी। साहब स्वयं बहुमूल्य आसन पर आसीन होते थे।

वास्तव में सत्याग्रही कानून की पालन करने वाला होता है और वे उसी कानून के विरोध की बात करते है जो नैतिकता का विरोधी होता है। गाँधी जी के लिए नैतिकता सर्वोच्च थी। सत्याग्रह के व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए गाँधी जी मानते थे कि सत्याग्रह करने वाले को अपनी मूल माँगों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनका विचार था कि सत्याग्रह से प्राप्त सफलता को बनाये रखने के लिए निरन्तर सत्याग्रही बने रहना आवश्यक है। हेनरी डेविड थोरो के विचारों से प्रभावित होते हुए गाँधीजी मानते थे कि व्यक्ति सबसे पहले है और उसको नैतिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रयोग करना चाहिए और इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। गाँधीजी के अनुसार व्यक्तिगत हितों के लिए सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग हमेशा जन–हिताय, जन–सुखाय होना चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग करते समय भी महात्मा गाँधी विरोधी पक्ष से निरन्तर बात–चीत करने पर बल देते थे और सभी प्रयासों में विफल होने पर ही सत्याग्रह प्रयुक्त करने की सलाह देते थे। सत्याग्रह आरम्भ करने से पूर्व सत्याग्रही को लोकमत अपने पक्ष में करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन बुराईयों के विरूद्ध वह संघर्ष करता है वे बुराईयाँ स्वयं में विद्यमान न हो। वह आत्मशुद्धी और सत्याग्रह से अपनी लड़ाई जीत सकता है। उसे हमेशा अपने विरोधी से बात–चीत करने के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए। गाँधीजी सत्याग्रही बनने की बहुत सी शर्ते बताते है सत्याग्रह के साथ–साथ रचनात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। सेवा तथा प्रेम की भावना के फलस्वरूप ही सत्याग्रह सफल हो सकता है। सत्याग्रह विनम्रता का प्रतीक है और हिंसा का विकल्प है। आमरण अनशन सत्याग्रही का अंतिम हथियार है। जिसका प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। गाँधीजी ने सत्याग्रह में विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया था जिस में असहयोग आन्दोलन सबसे महत्त्वपूर्ण था। वे इसमें हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, धरना, सविनय अवज्ञा, हजरत, उपवास इत्यादि है। वे सत्याग्रह के सकारात्मक पक्ष को महत्त्व देते थे जिसमें केवल विरोध करना ही नहीं अपितु सकारात्मक कार्यक्रम को बनाये रखना भी आवश्यक है। उन्होंने 15 सूत्री सकारात्मक कार्यक्रम बनाये थे जिसमें खादी का प्रचार–प्रसार, ग्रामोद्योगों का विकास, ग्राम स्वराज्य की स्थापना, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी उद्धार, आर्थिक समानता इत्यादि शामिल है।

जैसा कि उपर कहा गया है कि निलहे कोठीवाले अंग्रेज जमींदारों से उनकी रैयती जमीनों की भी ठेकेदारी करते थे। ठीकेदार के अधिकार से रैयतों से माल गुजारी वसूल करना उनका न्याय सिद्ध अधिकार था। पर मालगुजारी के रूपये ठीक समय पर नहीं देने पर वे न्यायालय की शरण नहीं लेते थे। वे रैयतों के बैल, घोड़े तथा अन्य पशुओं और सामानों को जमाकर अपने यहाँ मंगवा लेते थे। रूपये की चूकती कर देने पर उनकी पशु एवं सामानों को वे लौटा देते थे। कभी–कभी उन्हें शाक–भाजी के मूल्य में बेचकर उससे अपने पैसे की चुकती कर लेते थे।

इन निलहे कोठीवाल साहबों के नील की खेती करने की दो पद्धतियाँ थी–जिराएन तथा असामीवार। जिराएन पद्धति से कि जाने वाली खेती की व्यवस्था एवं देखरेख वे स्वयं अपने वेतन भोगी सेवको के माध्यम से कराते थे। खेतों में काम करने हेतु रैयत मजदूरों को बाध्य होना पड़ता था। अपनी इच्छा के विरूद्ध भी उन्हें नील के खेतों में जाकर काम करना ही पड़ता था जिसके लिए पारिश्रमिक नाम मात्र का मिलता था। इसके लिए वे सदा भीतर से असंतुष्ट रहते थे। किन्तु अपने असंतोष को प्रकट करने की क्षमता उनमें न थी। असामीवार पद्धति में कोठी के मालिक असामियों से नील की खेती करबाते थे। ''तीन–कठिया'' की चर्चा उपर की जा चुकी है। असामियों को अपनी कृषि की जमीन में से अच्छी एवं उर्वरा भूमि निकालकर उसमें कोठीवालों के लिए नील उपजाना पड़ता था। जिसके उनके अन्न की उपज कम हो जाती थी, और उन्हें अपने बाल–बच्चों के साथ भूखे रहकर समय काटना पड़ता था। इसके अतिरिक्त नील की खेती हेतु जमीन प्राप्त करने और उसमें नील उपजानें के दो और तरीके थे–''खुराकी तथा कुरताउली''। खुराकी पद्वति के अनुसार तील की खेती करने के लिए ''कबुलियते ऐसे आसामियों से लिखा ली जाती थी जो कोठी के अधीन रैयत नहीं रहते थे। कुरतावली अत्यन्त ही कष्टप्रद पद्धति थी। उसके अनुसार रैयतों को ये कोठीवाल कर्ज देकर उनकी आवा संहित सारी जमीन दीर्धकाल के लिए मजबूत करवा लेते थे। कभी–कभी उसकी अवधि इतनी लम्बी होती थी कि मजबूत करने वाले के जीवन काल में ऋृण की चुकती और उनकी जमीन का लौटना असंभव होता था। ऐसे मनुष्यों कों कोठीवालों का दास बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे एक प्रकार से उनके दास समझें जाते थे। निलहे साहब कभी–कभी मजदूरों को नाम मात्र की मजदूरी भी नहीं देते थे। उन्हें पेट बाँधकर काम करना पड़ता था। उन गरीब असहायों की सुनवाई कहीं होने वाली नहीं थी। दंड विभाग के अधिकारी विशेषतया अंग्रेज ही होते थे। उनके बाद हाथ निलहे कोठी वालों के माथे पर सदा बने रहते थे, जिससे उनकी रक्षा होती रहती थी, और वे निर्भीक होकर अपनी मनमानी करते जाते थे।

गरीब हिन्दुस्तानी प्रजा के प्रति उनकी सहानुभुति कम थी। ईश्वर ही उनका एक मात्र सहारा था। ''निर्बल के बल राम गोसाई'' पद का स्मरण आपत्तिकाल में क्लेश से मुक्ति का एक मात्र साधन उनके पास बच रहा था। अंत में उन सबों का उद्धार आश्चर्यजनक रूप में महात्मा गाँधी एवं उनके कतिपय स्थानीय सहकर्मियों के सहयोग से हुआ।

लखनऊ में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 ई0 में अम्बिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में हुआ। चम्पारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने वहाँ जाकर महात्मा गाँधी से भेट की तथा उत्तर बिहार में निलहें कोठी के अंग्रेजों के द्वारा वहाँ के निरीह किसानों एवं खेतिहार मजदूरों के प्रति किये जाने वाले पशुवत् व्यवहार और अत्याचार की कथा सुनायी। उस कांग्रेस में समस्तीपुर के देशभक्त वकील बाबू, वरिष्ठ नारायण सिंह प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने वहाँ एक प्रस्ताव उपस्थित कर सरकार से अनुरोध किया कि ''वह शीघ्र शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों की एक समिति का गठन कर उसके द्वारा कृषकों के कष्ट और निलहे कोठीवालों एवं उनकी रैयतों के बीच कटु, संबंध के करणों का पता लगाने और उनका निराकरण शीघ्र अति शीघ्र करें। वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

महात्मा गाँधी के आवास पर पीड़ित किसानों एवं मजदूरों का ताँता लग गया। गाँधी जी ने उन सबों का बयान लेना आरंभ किया। पटना के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ के पुस्तकालय में उन कष्ट पीड़ित किसानों एवं मजदूरों द्वारा वर्णित वृतान्तों की सहस्त्रों टंकित प्रतियाँ आज भी प्राप्त है। बिहार के उपराज्यपाल ने विचार–विमर्श के पश्चात् गाँधीजी के विरूद्ध चालू अभियोग को उठा लेने की आज्ञा दी।

चम्पारण के दंडाधिकारी ने इसकी सूचना गाँधीजी को 21 अप्रैल 1917 ई0 को दी। चम्पारण में गाँधी जी यह पहली नैतिक विजय थी। उनका वह पवित्र काम अब बिना प्रतिरोध के चलने लगा। उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट ने गाँधीजी को मिलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राँची जाकर जून महीने में छोटे लाट से भेंट की। उस भेट के परिणामस्वरूप चम्पारण के किसानों की अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक जाँच समिति का संगठन किया गया। उस समिति का काम था जाँच कर वस्तुस्थिति का ठीक–ठीक पता लगाना, एवं उसके संबंध में सरकार के पास प्रतिवेदन प्रेषित करना। गाँधीजी भी उस समिति के एक सदस्य निर्वाचित किये गये। उन्होंने उसकी सदस्यता इस शर्त पर स्वीकार की कि जाँच के समय भी वे अपने सहकर्मियों के साथ परामर्श कर सकेगें, तथा जाँच समिति के सदस्य होने के नाते रैयतों की ओर से बोलने का उनका अधिकार समाप्त नहीं

हो जायेगा, और यदि उस जाँच का फल संतोषजनक नहीं होगा तो उन्हें रैयतों के आगे क्या करना चाहिए, इस विषय में उनको राय देने एवं उनका नेतृत्व करने की स्वतंत्रता रहेगी। उपर्युक्त जाँच समिति की अनुशंसा पर ''चम्पारण ऐग्रेरियन बिल'' पारित हुआ। उसके द्वारा चम्पारण के पीड़ीत किसानों के चिर कष्टों का अवसान हुआ। महात्मा गाँधी का चम्पारण का सत्याग्रह पूर्णयता सफलीभूत हुआ। किसानों की विजय हुई। इससे प्रदेश के साथा–साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में सत्याग्रह की अमोध शक्ति पर सब का अडिग विश्वास जम गया। चम्पारण जिले के किसानों की विजय का प्रभाव उत्तर बिहार के तत्कालीन दरभंगा (वर्तमान में समस्तीपुर), मुजफरपुर आदि के निलहे कोठीवालों के उपर भी पड़ा। और उन सब के अत्याचार उत्पीड़न में कमी आई। ढ़ोली–बिरोली, जितवारपुर, बहुआरा, दौलतपुर आदि के कोठीवालों ने अपनी निजी जमीन को बेचना प्रारंभ किया।

चम्पारण के सत्याग्रह में महात्मा गाँधी के साथ उत्तर एवं दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लब्ध प्रतिष्ठा राजनीतिक कार्यकत्ताओं एवं देश भक्त मेधावी वकीलों ने जाकर उनके नेतृत्व में काम किया था। ऐसे लोगों में दरभंगा–समस्तीपुर के प्रसिद्ध वकील एवं राजनेताओं ब्रज किशोर प्रसाद, धरनी धर, कपिलदेव सिंह, बलिराम भगत, दरबारी सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, पटना के वकील राजेन्द्र प्रसाद, गया जिला निवासी अनुग्रह नारायण सिंह, मुंगेर जिला के श्री कृष्ण सिंह, गोरख प्रसाद तथा अन्य अनेको के नाम उल्लेखनीय है जिन्होने गाँधीजी की शांति सेना के विश्वासी सैनिकों के रूप में कार्य किया था। महात्मा गाँधी ने जनकधारी प्रसाद जी के नाम 1925 ई0 में एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंनें अपने चम्पारण के सहकर्मियों के संबंध में अंकित किया था कि उन सब के समान विश्वासी कार्यकर्त्ता उन्हें न कभी पहले प्राप्त हुए और न आगे ही होने की संभावना है। यदि सारे भारतवर्ष में उन सब की कोटि के कार्यकर्त्ता उन्हें प्राप्ति हो जाए तो देश को स्वराज्य की प्राप्ति में अधिक विलम्ब नहीं लगेगा।

राष्ट्रीय परिदृश्य में गाँधी अभी भी प्रमुख सितारे थे। जब कभी भी जन आंदोलन का विचार बनता अधिकांश राजनीतिज्ञ, कार्यकर्त्ता व जनता उन्हें ही नेता चुनने की मंशा व्यक्त करते। गाँधी ने आंदोलन की कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी मान्यता थी कि सत्याग्रह के सिद्वान्तों के अनुरूप अहिंसक आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता जैसे लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते है। उन्हें अपनी इस मान्यता पर अभी भी भरोसा था। उनकी यह भी मान्यता थी की भारत को स्वतन्त्रता शीघ्र तथा किसी प्रकार का समझौता किए बिना प्राप्त हो जानी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता पड़ने पर अकेले भी जाने को तैयार थे। इससे लक्ष्य के प्रति उनका दृढ़ निश्चय और समर्पण भाव

स्पष्ट होता है। दुर्भाग्य से वे भारत छोड़ो आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभा सके क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया गया व अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गए।

निष्कर्ष

महात्मा गाँधी ने चम्पारण जिले के समाज के नीचे स्तर के पद दलित, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित जन समुदाय दशा से द्रवीभूत होकर उनके उत्थान हेतु कल्याण कार्य आरंभ करना आवश्यक समझा। उनके अज्ञान एवं परिस्थिति से उदभूत अस्वास्थ्य कर जीवन को उच्च बनाये बिना समाज का स्थायी हित संभव नहीं था। इसके लिए सच्ची शिक्षा की आवश्यकता का उन्होंने अनुभव किया। गाँधीजी सत्याग्रह को एक क्रमिक विकास के रूप में देखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति स्वयं को तप के द्वारा उत्कृष्ट बनाने के लिए निरन्तर कोशिश करता है तथा चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करता है। वह निष्क्रिय प्रतिरोध को गरीबों का हथियार मानते थे और सत्याग्रह को बलवानों का अस्त्र मानते थे। इसमें अहिंसा आवश्यक तत्त्व थी। सत्याग्रह का उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है और उसे किसी भी कीमत पर त्यागा नहीं जा सकता। सत्याग्रह का प्रयोग करने वाला और कानून का विरोध करने वाला हर व्यक्ति परेशानी झेलने को तैयार रहता है।

संदर्भ स्रोत

1. कामेश्वरी चरण सिंहाः मै और मेरी साथी, पृ. 157
2. K.K. Datta: Freedom Movement in Bihar, Vol. I, P. 15.
3. K.K. Datta: Quoted from "Freedom Movement in Bihar, P. 11.
4. डा० सीताराम झा ''श्याम'' : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रुप रेखा, पृ. 166
5. Pecited by Rabindranath in the specing innocation of the Indian National congress, P. 125.

राष्ट्रीय चेतना के जागृति में बिहार के रियासती घरानों की भूमिका

डॉ. कुमार समर्पण*

सार–संक्षेप

भारतीय रियासतों या देशी राज्यों की स्थापना तथा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उनका सम्बन्ध आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत दो भागों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत एवं भारतीय देशी राज्य/देशी राज्यों की संख्या लगभग 6 सौ थी। देशी राज्यों के अधीन देश के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत जनसंख्या थी। इन देशी राज्यों की स्थापना मुगल काल में हुई थी। सर ली. वार्नर के अनुसार 1919 ई. के पूर्व भारतीय देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सम्बन्ध के तीन युग थे। घेरे की नीति का युग, अधीनस्थ अवस्था की नीति का युग और अधीनस्थ संघ नीति का युग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय चेतना के जागृति में बिहार के रियासती घरानों के साथ–साथ भारत के लगभग सभी रियासती घरानों का महत्वपूर्ण योगदान है और यह योगदान चिन्तन, चेतना और संघर्ष तक ही सीमित नहीं है अपितु बिन्दु–बिन्दु पर शिलालेख की तरह अंकित है। देश के नरेशों में आपसी फूट, राजनीतिक अदूरदर्शिता, राष्ट्रीयता के भाव की कमी, जाति गत विद्वेष एवं तज्जनित संकीर्णता, तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता के कारण भारत वर्ष को विदेशियों की परतन्त्रता की कठिन बेड़ी के बंधन में चिरकाल तक जकड़ा रहना पड़ा था, पर इतिहास इसका साक्ष्य देता है कि उस अवधि में भी वह उस दीन अवस्था से मुक्ति पाने के हेतु सदैव छटपटाता रहा है और समय–समय पर उसके लिये परिस्थिति के अनुकूल संयत भी हुआ। अंग्रेजों के भारत में शासन के आरंभ से एक शादी पश्चात देश में स्वतंत्रता की भावना अति प्रबल हो उठी और उसकी लहर देशों दिशाओं में फैल गयी।

परिचय

भारत के अधिकांश रियासती राजा निरकुंश होते थे और रियासतों के आम नागरिक पिछड़ेपन के शिकार होते थे। रियासतों द्वारा अनियंत्रित शोषण, निरकुंश शासन एवं आर्थिक दोहण की प्रक्रिया बनी रहती थी। वास्तव में भारतीय

*ग्राम+पो.–कोठिया, भाया–माधोपुर, दिधरूआ, प्रखण्ड–ताजपुर, जिला–समस्तीपुर (बिहार), पिन–848122